



2026:AHC:24589-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2337/2026

सुंदर पाल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सैयद अली इमाम

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी आक्षेपित नोटिस पहले ही वापस लिया जा चुका है, अतः प्रस्तुत रिट याचिका निष्प्रभावी हो गई है।
3. राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं करते हैं।
4. दिए गए बयान के आलोक में, यह रिट याचिका निष्प्रभावी हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

4 फरवरी, 2026

नदीम

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"